

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/अनु.जनजाति(अत्याचार निवारण)अधि.सहरसा

परिवाद वाद सं.61 / 2022

11.09.2023

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। परिवादी अनुपस्थित। प्रस्तुत परिवाद पत्र परिवादी के शपथ पर बयान हेतु निश्चित है, परंतु परिवादी दिनांक-13.6.2022 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत परिवाद पत्र. के अग्रिम संचालन में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः प्रस्तुत परिवाद पत्र को धारा-203 द.प्र.स. के अंतर्गत **खारिज** किया जाता है। कॉ.लि.नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश